न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
10/2023	09.01.2023	12.06.2023

उनवान

1. रोशन देवी पत्नी सत्यनारायण जाति राजपूत निवासी ग्राम खेडकी तह0 कोटपूतली जिला जयपुर।
2. मीरा देवी पत्नी राजेश कुमार जाति बावरिया निवासी गूंता तह0 बानसूर जिला अलवर।

वादनीगण।

बनाम

1. चिमनलाल पुत्र श्योकरण उर्फ शिवकरण शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी निहालपुरा तह0 नीमराना।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।
3. उपपंजीयक,नीमराना।

:– प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,89 व 188 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थितीः–

1. श्री विरेन्द्रकुमार महता एड0 वादनीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादनीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हाल आराजी ख.नं. 389/02.01 वाके ग्राम निहालपुरा तह.नीमराना मे स्थित है। जिसमे प्रतिवादी सं0 01 का 1/42 भाग खातेदारी का था। जिसमे से प्रतिवादी सं. 01 ने 275/20100 भाग जरिये रजि0बयनामा दिनांक 12.06.2017 को वादनीगण को वेचान किया था। वक्त खरीद से वादनीगण अपने खरीदशुदा हिस्से पर काविज है। बयनामा की प्रति वास्ते इंतकाल पटवारी हल्का को वास्ते इंतकाल दर्ज करने दी थी। इसके पश्चात वादनीगण निरन्तर काबिज है। पटवारी हल्का ने कहा था कि बयनामा के अनुसार इंतकाल दर्ज हो जाएगा परन्त अब दिनांक 26.12.2022 को हम वादनीगण ने जमाबंदी की नकल प्राप्त की जो जान कारी हुई कि बयनामा के अनुसार वादनीगण के पक्ष मे इंतकाल दर्ज नही हुआ है प्रतिवादी सं0 01 द्वारा विक्रय किये गये हिस्से पर भी प्रतिवादीगण 01 का ही नाम दर्ज हो रहा है इस पर हमने प्रति. सं. 1 से बैयनामा का इंतकाल दर्ज कराने के लिए प्रति0सं. 01 से कहा तो कहा कि मैने भूमि बेचान कर दी है इससे मेरा कोई संबंध नही है आप कागजातमाल मे अपना नाम स्वय दर्ज कराओं। इसलिए वादनीगण को यह वाद पेश करना लाजिम आया है।
2. अन्त मे वादनीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने कि प्रार्थना कि है:– **(क)** डिक्री इस्तकरार हक बहक वादनीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादर अता फरमाई जावे कि आराजी हाल ख.नं. 389/02.01 ग्राम निहालपुरा तह0 नीमराना मे से प्रतिवादी सं.0 01 ने अपने हिस्से मे से वादनीगण को जरिये रजि0बयनामा दिनांक 12.06.2017 को 275/20100 भाग वादनीगण को संभाग मे बेचान किया था। जिस बयनामा के आधार पर वादनीगण को सभाग रूप से 275/20100 भाग का वादनीगण को खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्से की जद

अधिकारी
(अलवर)

तथा प्रतिवादी सं0 01 के हिस्से भाग को कलमजद किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किए जाने के आदेश दिये जावे।

(ख) डिक्री हु0इ0दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी ख.नं. 389/02.01 ग्राम निहालपुरा तह0 नीमराना के हाल रिकॉर्ड मे गलत इंद्राज के आधार पर वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे ना ही रहन बय करे,मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जैसे नजदीक अदालत श्रीमान हो सादीर फरमाया जावे।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। बाद तामिल प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नहीं हुए लिहाजा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। वादीगण ने अपने वाद की पुष्टि हेतु साक्ष्य मे गीता देवी वादनी का शपथ पत्र पी.डब्लू. 01 व रोशनी देवी वादनी का शपथ पत्र पी.डब्लू. 02 पेश किये है, तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी संवत 2076-79 प्रदर्श 01, फोटो प्रति बयनामा दिनांक 12.06.2017 प्रदर्श 02,फोटो प्रति आधार कार्ड प्रदर्श 03,04 पेश किए है।

4. वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2076-79 प्रदर्श 01 के अवलोकन से साबित है कि आराजी ख.नं. 389/02.01 वाके ग्राम निहालपुरा तह0 नीमराना के 1/42 भाग का प्रतिवादी सं0 01 चिमनलाल पुत्र श्योकरण खातेदार दर्ज है तथा फोटो प्रति बयनामा प्रदर्श 02 के अवलोकन से साबित है कि चिमनलाल ने अपनी 1/42 खातेदारी हिस्से मे से वादीगण को 275/20100 हिस्से का दिनांक 12.06.2017 को बेचान किया है। जिससे साबित है कि वादीगण उक्त हिस्से की खरीददार खातेदार है परन्तु बाद बेचान भी उक्त हिस्से पर प्रतिवादी सं0 01 का ही नाम दर्ज चला आ रहा है,जो गलत है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वाद वादीगण साबित होता है वाद वादीगण डिक्री किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

5. अतः आदेश है कि:-

वाद वादीगण इस्तकरार हक बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं.01 एकपक्षीय डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी हाल ख.नं. 389/02.01 ग्राम निहालपुरा तह0 नीमराना के 275/20100 भाग का वादीगण को खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड मे जो अंकन प्रतिवादी सं. 01 के नाम से 1/42 भाग का बतौर खातेदार दर्ज हो रहा है उसमे से 275/20100 भाग से प्रतिवादी सं. 01 का नाम कलमजद किया जाकर वादीगण को 275/20100 भाग का संभाग मे खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगी। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.06.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

12/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
10/2023	09.01.2023	12.06.2023

उनवान

1. रोशन देवी पत्नी सत्यनारायण जाति राजपूत निवासी ग्राम खेडकी तह0 कोटपूतली जिला जयपुर।
2. मीरा देवी पत्नी राजेश कुमार जाति बावरिया निवासी गूंता तह0 बानसूर जिला अलवर।

वादनीगण।

बनाम

1. चिमनलाल पुत्र श्योकरण उर्फ शिवकरण शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी निहालपुरा तह0 नीमराना।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।
3. उपपंजीयक,नीमराना।

:— प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,89 व 188 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थिती:—

1. श्री विरेन्द्रकुमार महता एड0 वादनीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक: 12.06.2023

—::पर्चा डिक्री::—

वाद वादनीगण इस्तकरार हक बहक वादनीगण विरूद्व प्रतिवादी सं. 01 एकपक्षीय डिक्री किया जाकर वादनीगण को आराजी हाल ख.नं. 389/02.01 ग्राम निहालपुरा तह0 नीमराना के 275/20100 भाग का वादनीगण को खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड मे जो अंकन प्रतिवादी सं. 01 के नाम से 1/42 भाग का बतौर खातेदार दर्ज हो रहा है उसमे से 275/20100 भाग से प्रतिवादी सं. 01 का नाम कलमजन किया जाकर वादनीगण को 275/20100 भाग का संभाग मे खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादनीगण स्वयं वहन करेगी।

12/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)